प्रश्न : गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करें।

उत्तर : सामान्यतः प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त वंश के शासनकाल को 'स्वर्ण युग' माना जाता है। गुप्तों ने अपने लम्बे शासनकाल के दौरान भारत में न केवल एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि एक कुशल प्रशासनिक तंत्र का संगठन भी किया, जिसकी मुख्य विशेषता सत्ता का **विकेन्द्रीकरण** है। इसकी दूसरी मुख्य विशेषता यह थी कि इसके अंतर्गत विभिन्न अधीनस्थ शासक राज्य, आश्रित राज्य आदि थे, जिन्हें प्रशासनिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। यही कारण है कि गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को **प्राक् सामंती व्यवस्था** भी कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषताओं का आलोचनात्मक विवरण निम्नवत है :

- **केन्द्रीय प्रशासन :** गुप्तकालीन राज्य व केन्द्रीय प्रशासन का प्रमुख राजा (महराजाधिराज) होता था। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के सिद्धांत के अनुरूप प्रशासन, सेना, वित्त व न्याय का अंतिम अधिकार राजा के हाथों में ही होता था। वह धर्म प्रवर्तक या कानून का पालनक माना जाता था। जनता की सुरक्षा करना, वर्ण व्यवस्था एवं धर्म की रक्षा करना उसका मुख्य कर्तव्य था। गुप्त शासकों ने गौरवपूर्ण उपाधियों (महाराजाधिराज, परमभट्टारक, परमेश्वर, परमदेवता इत्यादि) द्वारा जनता पर अपना प्रभाव कायम किया। इन उपाधियों से विदित होता है कि गुप्त शासकों के अधीन अनेक छोटे-छोटे राजा थे तथा गुप्त राजा देवता के सदृश था और उसकी तुलना सूर्य, अग्नि, यम, कुबेर आदि से की गयी है। राजा युवराज एवं मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन करता था। मंत्री सामान्यतः उच्च वंश से नियुक्त किये जाते थे। इनका मुख्य कार्य विभिन्न विभागों की देखभाल करना तथा राजा

Scanned with CamScanner

को मंत्रणा देना था। इनका पद बहुधा वंशानुगत होता था। कभी-कभी एक ही मंत्री को एक से अधिक विभाग सौंपे जाते थे। उदाहरण के लिए, **हरिषेण** एक ही साथ कुमारामात्य, संधि विग्राहिक एवं महादण्डनायक का कार्य करता था।

गुप्तों की नौकरशाही व्यवस्था मौर्यों जितनी विशाल या सुसंगठित नहीं थी। इस नौकरशाही को **अमात्य** के नाम से भी जाना जाता था। अमात्य का पद अधिकतर ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित रहता था, परन्तु अन्य वर्णों की भी अमात्य के पद पर नियुक्ति होती थी। गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारी निम्नलिखित हैं :

- **महासेनापति** : सेना प्रमुख
- **रणभांडागारिक** : सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने वाला अधिकारी।
- **महाबलाधिकृत** : सैनिक अधिकारी।
- **दण्डपाशिक** : पुलिस विभाग का प्रधान।
- **महादण्डनायक** : युद्ध एवं न्याय विभाग का कार्य देखने वाला।
- **महासन्धिविग्रहिक** : युद्ध, शांति या वैदेशिक नीति का प्रधान।
- **विनयस्थिति स्थापक** : शांति व्यवस्था का प्रधान।
- **महाक्षपटलिक** : अभिलेख विभाग का प्रधान।
- **सर्वाध्यक्ष** : केन्द्रीय सचिवालय का प्रधान।
- **महाप्रतिहार** : राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी।
- **ध्रुवाधिकरण** : कर वसूल करने वाले विभाग का प्रधान।
- **अग्रहारिक** : दान विभाग का प्रधान।

केन्द्रीय प्रशासन के विभिन्न विभाग अधिकरण होते थे, जिनकी अपनी मुद्रायें होती थीं। कुमारामात्य के पदों पर राजवंश से सम्बद्ध व्यक्ति ही नियुक्त किये जाते थे।

Scanned with CamScanner

- **सैन्य प्रशासन :** गुप्त शासकों का अपना सैन्य संगठन विस्तृत नहीं था। युद्ध के मौके पर सामंत व अधीनस्थ शासक उन्हें सैनिक सहायता देते थे। मौर्यों की तरह गुप्तों का अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण पर राज्य का एकाधिकार नहीं था।
- **न्याय प्रशासन :** गुप्तकाल में न्याय व्यवस्था अच्छी थी। राजा के अतिरिक्त पूग, श्रेणी एवं कुल न्यायालय भी मुकदमों का निपटारा करते थे। दण्ड विधान कठोर नहीं होने पर भी अपराध कम होते थे।
- **राजस्व प्रशासन :** राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर (भाग, भोग, उद्रंग, उपरिक, हिरण्य) था। राज्य सामान्यतः उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लेता था। जुर्माना, उपहार, बिक्री कर आदि से भी राज्य को आमदनी होती थी। राजस्व का एक बड़ा भाग राजपरिवार के सदस्यों, अधिकारियों व दान-पुण्य के कार्यों में खर्च होता था।
- **प्रान्तीय प्रशासन :** गुप्त साम्राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों, यथा– देश या राष्ट्र, भुक्ति, विषय, वीथि आदि में विभक्त था। केन्द्र द्वारा शासित सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई देश या राष्ट्र कहलाती थी। देश भुक्ति में बटा था और भुक्ति का प्रधान विषयपति कहलाता था। विषयपति, विषयपरिषद की सहायता से शासन करता था। इस परिषद के सदस्य नगर, श्रेष्टि, सार्थवाह, प्रथम

Scanned with CamScanner

कुलिक तथा प्रथम कायस्थ होते थे। विषय विथियों में विभक्त था। गुप्तों ने पहली बार इतनी व्यवस्थित प्रान्तीय शासन की व्यवस्था की थी।

- **स्थानीय प्रशासन :** प्रान्तीय प्रशासन के समान ही गुप्तों की स्थानीय प्रशासन भी सुसंगठित थी। वीथि से छोटी इकाई पेठ थी। पेठ अनेक ग्रामों का समूह होता था। सबसे छोटी इकाई गांव थी। ग्रामिक महत्तर, अष्टकुलाधिकारी, कुटम्बी, तलवारक इत्यादि अधिकारियों की सहायता से गांवों की व्यवस्था देखता था। नगर का प्रशासन नगरपति नगरसभा की सहायता से करता था। नगर के प्रशासन में व्यापारी व शिल्पी संघ भी प्रमुख हिस्सा लेते थे। नगर प्रशासन में कुलिकों, श्रेणियों और सार्थवाह के निगमों की मुख्य भूमिका थी। ये अपनी मुहरें भी जारी करते थे।

इस प्रकार, गुप्त शासनकाल में सामंती व्यवस्था होने के कारण प्रशासन विकेन्द्रीकरण पर आधारित था। एक तरफ राजा का पद ज्यादा गौरवमय बन गया, परन्तु दूसरी तरफ उसकी शक्ति कमजोर पड़ गयी। अधीनस्थ शासक और सामंत ज्यादा बलवान बन गये। उन्हें राजा के अनेक अधिकार स्वतः प्राप्त हो गये (शासन करने, सेना रखने, सिक्का व मुद्रा जारी करने, अभिलेख खुदवाने एवं भूमि अनुदान करने का)। वस्तुतः इस व्यवस्था में विघटनगारी तत्व विद्यमान थे, जो राजा की शक्ति कमजोर पड़ते ही बलवान हो गये तथा जिन्होंने साम्राज्य का विघटन पूरा कर दिया।

Scanned with CamScanner